भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1360

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"सीबीआईसी द्वारा जीएसटी कटौती संबंधी लाभों की निगरानी"

1360. **श्री दिनेश चंद्र यादव:**
श्री गिरिधारी यादव:
श्री रामप्रीत मंडल:
श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को आम जन के लिए जीएसटी दर में कटौती के लाभ की निगरानी के लिए अधिकृत किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि उक्त कटौती के दो महीने बाद भी आम जन दैनिक वस्तुओं की कीमतों में कोई अंतर अनुभव नहीं कर पा रहे है; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

भाग (क), (ख) और (ग):

(i) दिनांक 03.09.2025 को हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों का युक्तिकरण किया गया था। उसके बाद से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) दिनांक 22 सितंबर, 2025 से पहले और इसके बाद में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतों पर निगरानी रख रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि इसके लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुँच रहे हैं। इस बारे में मिली जानकारी से यह पता चला है कि जीएसटी दर में कमी के बाद ये लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक सही तरीके से पहुँचे हैं।

(ii) इसके अलावा, अध्यक्ष सीबीआईसी के स्तर पर व्यापार संघ और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गईं थीं, ताकि कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को दूर किया

जा सके और जीएसटी के लाभ लोगों तक पहुँचाने पर ज़ोर दिया जा सके। ऐसी व्यापार निकायों और संघों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया था कि उनके सदस्य 22 सितंबर, 2025 से अलग-अलग वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी के कारण दर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुँचाएँ। इसके साथ ही, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जीएसटी दर का युक्तिकरण किए जाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाए गए थे।

(iii) राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दिनांक 12.09.2025 और 13.09.2025 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से स्पष्ट किया कि औषधि/फॉर्मूलेशन बेचने वाले सभी निर्माताओं/विपणन कंपनियों द्वारा औषधि/फॉर्मूलेशन (चिकित्सा उपकरणों सहित) के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ता मामला विभाग ने 18 सितंबर, 2025 को एक एडवाइजरी भी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्माताओं/पैकर्स/आयातकों/उनके प्रतिनिधियों को 22 सितंबर, 2025 से पहले निर्मित और उनके पास पड़े बिना बिके पैकेजों पर स्वेच्छा से अतिरिक्त संशोधित मूल्य स्टिकर लगाना होगा, बशर्ते पैकेज पर पहले से मुद्रित मूल मूल्य विवरण ढका न हो। इस संबंध में हितधारकों को जानकारी प्रदान करने के लिए सीबीआईसी की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी अपलोड किए गए।

(iv) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भी तैयार किए गए थे और सीबीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, ताकि उपभोक्ताओं को यह मार्गदर्शन मिल सके कि यदि उन्हे जीएसटी दर में बदलावों के लाभ न मिलने से संबंधित कोई प्रश्न करना हो/शिकायत करनी हो, तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर कॉल करें या एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल पर अपने प्रश्न/शिकायतें दर्ज करें।

(v) सीबीआईसी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है जो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर उठाए गए प्रश्नों या चिह्नित समस्याओं के उत्तर देने का कार्य करेगा।

(vi) राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज ऐसी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा रही है जिनके साथ दस्तावेजी प्रमाण होते हैं ।

*****